

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

No. 1 AT/Safety/Safety Circular-9/JU/2024

दिनांक 30.09.2024

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ), वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत), वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार), वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार), मुख्य नियंत्रक (बिजली), प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाझमेर व समदड़ी, प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी

मंडल संरक्षा परिपत्र - 09/2024

विषय :- किसी गाड़ी में "हॉट एक्सल" पाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही।

गाड़ियों में "हॉट एक्सल" की घटनाओं को रोकने /पता करने के लिए सामान्य एवं सहायक नियमों के अध्याय 4.29(1) से 4.29 (8) के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

स.नि.4.29(1) गर्म धुरे:- (क) कोई भी रेल कर्मचारी जब चल रही गाड़ी पर गर्म धुरा देखता है तो वह यथाशक्ति गाड़ी को रोकने और गाड़ी के कर्मचारियों को सावधान करने के लिए बाध्य होगा। स्टेशन मास्टरों और उनके कर्मचारी वर्ग को भी अपने स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों के वाहनों की हालत देखनी होगी और यदि कोई खराबी या अनियमितता दिखाई पड़े तो यदि संभव हो तुरन्त गाड़ी को रोकने की कार्यवाही करनी होगी। यदि गाड़ी को रोका न जा सके तो जिस ओर गाड़ी जा रही हो उसी ओर के अगले स्टेशन को शीघ्र सन्देश द्वारा सूचना देनी होगी। इस सन्देश में अंग्रेजी कोड शब्द गैमर प्राइवेट नम्बर के साथ प्रयोग किया जायेगा। यदि ब्लाक यंत्र प्रयोग में हो तो 000000-0 (छ: विराम एक) संकेत भेजा जाएगा।

(ग)(i) जब स्टेशन मास्टर को गाड़ी के गर्म धुरे की सूचना मिले तो वह, जहाँ तक संभव हो, गाड़ी को मुख्य लाइन पर लेगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हो तो, गाड़ी लूप लाइन, जिसमें उसे लेना है, पर लेने से पहले प्रथम रोक सिग्नल के बाहर रोक देगा। गाड़ी जब स्टेशन यार्ड में नियत लाइन पर आकर रुक जाये तो सेक्शन इंजीनियर (कै. व वै.) स्टाफ (गाड़ी परीक्षण स्टेशन होने पर) या ड्राइवर द्वारा गर्म धुरे डिब्बे की जांच की जायेगी।

(ii) जब स्टेशन मास्टर को गाड़ी के किसी वाहन के पटरी से उतरने की सूचना मिले या जिसके रूपानि गियर किसी भी प्रकार खतरनाक समझे गये हों तो वह गाड़ी को सिग्नलों के बाहर रोक देगा क्योंकि ऐसे वाहनों को आगे बढ़ने देना विशेषकर स्टेशन यार्ड के कांटों पर गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। स्टेशन यार्ड में लेने से पहले गाड़ी की अच्छी तरह जांच की जायेगी।

स.नि.4.29(2) ड्राइवर द्वारा गर्म धुरे का परीक्षण:- गाड़ी परीक्षण स्टेशन को छोड़कर किसी अन्य स्टेशन पर यदि कोई धुरा गर्म पाया जाए तो ड्राइवर को यह निर्णय करना होगा कि उस वाहन का आगे जाना सुरक्षित है या नहीं और यदि सुरक्षित है तो वह गार्ड को तदनुसार प्रमाण-पत्र देगा।

स.नि.4.29(3) रेलवे के बीच धुरे का गर्म होना— यदि दो स्टेशनों के बीच कोई धुरा गर्म दिखाई देता है तो गाड़ी को अवश्य खड़ा किया जाये और ड्राइवर उस धुरे की जांच करे। अगर वह समझे कि वक्से की रिपैकिंग करने और तेल देने के बाद गाड़ी का चलना खतरे से सुरक्षित हो तो वह जिस गति से गाड़ी का चलना उचित समझे उस गति से गाड़ी को अगले स्टेशन तक आगे बढ़ायेगा जहाँ ऐसे वाहन को अलग किया जा सकता है।

स.नि.4.29(4) गार्ड अपने जर्नल में यात्रा के दौरान गरम हो जाने वाले धुरों और खतरनाक डिब्बों संबंधी मामलों का विवरण लिखेंगे और उसकी सूचना मीमो द्वारा देंगे। चलने की दिशा की ओर अगले गाड़ी परीक्षण स्टेशन पर इन डिब्बों की देखभाल की जायेगी।

स.नि.4.29(5) गर्म धुरे के बारे में अन्य अनुदेश –

जब तक कि गर्म बाक्स (हॉट बाक्स) का प्रयोग गाड़ी परीक्षण कर्मचारियों की देख रेख में हो रहा, अन्यथा जान-वूझकर उसका प्रयोग जारी रहने देना दण्डनीय अपराध है। ऐसा कोई काग करना जिससे धुरा बक्स असुरक्षित हो जाए जैसे ढक्कन हटाना, भी दण्डनीय है और जो व्यवित ऐसा करना पाया जायेगा उस पर गुकदमा चलाया जा सकता है।

किसी खड़ी न होने वाली गाड़ी में कोई धुरा गर्म होना सबसे अधिक खतरनाक होता है। स्टेशन कर्मचारी यदि गर्म धुरा पारं या गर्म धुरे का संदेह हो तो अगले रेशन 'रोको और परीक्षण करो' संकेत देने की व्यवस्था करें। नियंत्रित सेवन पर स्टेशन मास्टर ड्यूटी के कण्ट्रोलर को इसकी सूचना अवश्य दें ताकि वह तत्काल कार्यवाही कर सके।

स.नि.4.29(6)(1) धुरा गर्म होने की चरणबद्ध अवस्थाएं इस प्रकार हैं :-

(क) जब बाक्स गर्म होना आरम्भ होता है। इस अवस्था में उसे केवल हाथ से छूने पर ही मालूम हो सकता है। हाथ को बक्से के पीछे के समुख भाग पर रखना चाहिए।

(ख) गर्म हुए ग्रीस की एक तीव्र गंध होती है जो वाहन से थोड़ी दूरी पर मालूम हो सकती है।

(ग) गर्म होते समय सीटी की सी आवाज कभी भी आरम्भ हो सकती है। जो बाक्स सीटी की आवाज कर रहा हो उसका परीक्षण अवश्य किया जाए।

(घ) बाक्स इतना गर्म हो जाता है कि बाक्स में से धूंए और आग की लपटे निकलती हुई देखी जा सकती है और बाक्स की धातु सुर्ख हो जाती है। ऐसी दशा में धुरा कुछ ही मील की दूरी में टूट जाएगा।

(2) रोलर बैयरिंग युक्त गर्म बक्सों का चिन्ह निम्नलिखित हैं :-

(क) रोलर बैयरिंग गरम बाक्स और इसके आस-पास के पहिया/बोगी के चारों तरफ ग्रीज का छिड़काव हो जाता है।

(ख) ग्रीज के जलने से धुरा बक्सों से धुंआ निकलता रहता है और दिन के समय प्रायः दिखाई पड़ता है और इसमें ग्रीज जलने की गंध भी रहती है।

(ग) रोलर बैयरिंग हाट बाक्स पर सीटी या चटकने जैसी साधारण खनक ध्वनि सुनाई देती है। एक्सल बाक्स का कवर भी क्षतिग्रस्त/गायब हो सकता है।

(घ) कुछ मामलों में, ग्रीज इतनी गर्म हो जाती है कि उससे आग लग जाती है और लपटे दिखाई पड़ने लगती हैं।

(ङ.) अन्तिम स्थिति में पहिये फिसल जाते हैं और सामान्य तथा कोई स्प्रिंग टेढ़ी हो सकती है। और रोलर बैयरिंग पुर्जों के टूट जाने के फलस्वरूप पहिये ब्लाक हो जाते हैं रोलर गरम बक्सों के कारण पहिये बहुत थोड़े ही समय में गरम हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप पहिये पटरी से नीचे उतर सकते हैं।

स.नि.4.29(7) मार्ग के उन छोटे स्टेशनों पर जहां गाड़ी परीक्षण कर्मचारी नहीं हैं, किसी माल डिब्बे को भेजने से पहले उसके धुरा बक्सों की जॉच अवश्य की जानी चाहिए। यदि ढक्कन नहीं हैं तो यह देखना मामूली बात है कि बक्स में सूत है या नहीं। यदि कोई बक्स खाली है तो मालडिब्बे को अवश्य रोक लेना चाहिए और सबसे समीप वाले सेक्शन इंजीनियर (कै. व वै.) को तार भेजनी होगी जो उसे पैक करने की व्यवस्था करेगा। स्टेशन मास्टर यह तसल्ली अवश्य कर लें कि ये आदेश उनके स्टेशन में चतुर्थ श्रेणी के सारे कर्मचारियों को बता दिये गए हैं।

स.नि.4.29(8) गर्म धुरा बक्स या धुरे पर पानी नहीं फैकना चाहिए। जब किसी वाहन को काटना तय कर लिया जाए तो निकटतम सेक्शन इंजीनियर (कै. व वै.) को संदेश भेजना होगा। इस तार में वाहन का नम्बर और मालिक रेलवे का नाम अवश्य दिया जाएगा और प्रतिलिपि बुकिंग और गन्तव्य स्टेशनों को दी जायेगी।


वरि. मण्डल सरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर